रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/99.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

**शिमला, शनिवार, 1 जनवरी, 2000/11 पौष, 1921**

### हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर

अधिसूचना

बिलासपुर, 18 दिसम्बर, 1999

संख्या बी0एल0ए0-10-पेशी-1 (2)/92-101436-448.--चूंकि घुमारवीं बाजार में गांधी चौक से लेकर कचहरी परिसर तक सड़क तंग होने व रा0 व0 मा0 पाठशाला तथा अन्य कार्यालय होने के कारण आने जाने वाले बच्चों व अन्य लोगों की दिन भर इस सड़क पर भारी भीड़ रहती है जिससे छोटे वाहनों व पैदल चलने वाले लोगों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और किसी अप्रिय घटना होने की सम्भावना बनी रहती है ।

अतः मैं, जगदीश चन्द्र शर्मा, भा0 प्र0 से0, जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात को सुचारू रखने तथा दुर्घटनाओं से बचने के उद्देश्य से निम्नलिखित आदेश देता हूं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पार्किंग स्थल | पुराना बस अड्डा । |
| 2. | भारी व मध्यम तथा ट्रैक्टर आदि के चलने व सामान चढ़ाने तथा उतारने पर प्रतिबन्ध । | गांधी चौक से कचहरी परिसर तक प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 11 बजे तक सायं 3.30 बजे से सायं 5 बजे तक । |

यह अधिसूचना इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या बी0 एल0 एस0-पेशी-1(13)/92-30301-26, दिनांक 19-5-98 का स्थान लेगी तथा तुरन्त प्रभाव से लागू होगी ।

जगदीश चन्द्र शर्मा,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ।

---

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, हिमाचल प्रदेश

शुद्धि पत्र

चम्बा, 27 दिसम्बर, 1999

संख्या पी0 सी0 एन0-सी0 बी0 ए0-486 0.—इस कार्यालय के कार्यालय आदेश के पृष्ठांकन संख्या पी0 सी0 एन0 सी0 बी0 ए0-4691-97, दिनांक चम्बा में अंकित 10 नवम्बर, 1999 के स्थान पर 10 दिसम्बर, 1999 पढ़ा जाए ।

---

चम्बा, 27 दिसम्बर, 1999

संख्या पी0 सी0 एन0-सी0 बी0 ए0-4867.—इस कार्यालय के कार्यालय आदेश के पृष्ठांकन संख्या पी0 सी0 एन0-सी0 बी0 ए0-4698-4704, दिनांक चम्बा में अंकित 10 नवम्बर, 1999 के स्थान पर 10 दिसम्बर, 1999 पढ़ा जाए ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ।

---

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 1999

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4)-197/85-4757.—यह कि श्री सैन्डी राम प्रधान, ग्राम पंचायत मुनिश, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला के विरुद्ध विभिन्न विकास योजनाओं में धनराशि के

दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर उप-मण्डलाधिकारी (ना0), रामपुर के माध्यम से जांच करवाई गई और जांच के उपरान्त यह पाया गया कि उक्त प्रधान ने विभिन्न विकास योजनाओं के निष्पादन में मु0 33,000 रु0 के धनराशि का दुरुपयोग नकद शेष के रूप अपने पास रख कर किया तथा पंचायत निधि को हानि पहुंचाई;

यह कि उक्त अनियमितताओं के लिए श्री सैन्डी राम प्रधान, ग्राम पंचायत मुनिश, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला को दिनांक 1-7-1999 को जिला पंचायत अधिकारी, शिमला द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । कारण बताओ नोटिस के जवाब पर सहायक आयुक्त एवं खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार यह पाया गया कि उक्त मु0 33,000/- रु0 के धनराशि में से मु0 18,767-60/- रुपये की धनराशि के प्रधान द्वारा जाली बाऊचर तैयार करके गबन करने का प्रयास किया गया और सहायक आयुक्त विकास एवं खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर ने 10,767-60/- रु0 की राशि प्रधान से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल करने हेतु सिफारिश की;

यह कि श्री सैन्डी राम प्रधान ग्राम पंचायत मुनिश, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला को मु010,767-60/- रु0 की धनराशि को ब्याज सहित 15 दिन के भीतर पंचायत खाता में जमा करने हेतु दिनांक 18-11-99 को जिला पंचायत अधिकारी शिमला द्वारा पत्र लिखा गया, परन्तु आज दिनांक 17-12-99 तक प्रधान द्वारा उक्त राशि पंचायत खाते में जमा नहीं करवाई गई ।

उपरोक्त अनुसार श्री सैन्डी राम प्रधान, ग्राम पंचायत मुनिश, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला मु0 10,767-60/- रु0 की धनराशि के गबन के गम्भीर आरोप में संलिप्त पाए गए हैं और प्रधान पद के दायित्व/कार्यों तथा कर्त्तव्यों को निभाने में असमर्थ रहा है । अतः श्री सैन्डी राम प्रधान, ग्राम पंचायत मुनिश, को प्रधान पद से निलम्बित करना आवश्यक है । उक्त प्रधान को उनके पद से निलम्बित करना इसलिए भी आवश्यक है कि कि उनका इस पद पर बने रहना मामले में आगामी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है । इसके अतिरिक्त अभिलेखों को बदलने की भी आशंका है ।

अतः मैं, पी0 सी0 कटोच, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझ में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत निहित हैं का प्रयोग करते हुए श्री सैन्डी राम प्रधान, ग्राम पंचायत मुनिश, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा प्रधान को यह आदेश भी दिए जाते हैं कि यदि उनके पास उक्त पंचायत की कोई अन्य धनराशि रिकार्ड आदि हो तो उसे वह तुरन्त ग्राम पंचायत के सचिव को सौंप दें ।

---

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SHIMLA, DISTRICT SHIMLA (H. P.)

### NOTIFICATION

*Shimla*-1, *the* 24*th December*, 1999

**No. SML-Reader/ADM(716)/99-37-57.**—Whereas large number of tourists have started arriving at Shimla on the eve of new year;

And whereas there is heavy rush of traffic in Shimla town and parking places available are inadequate and are not sufficient for the use of parking;

Therefore, it is necessary to earmark additional space for parking of the light motor vehicles so as to regulate the flow of traffic in Shimla town. Thus, I, P. C. Katoch, IAS, District Magistrate, Shimla, District Shimla in exercise of the powers vested in me under section 117 of the Motor vehicles Act, 1988 and all other powers enabling me in this behalf,